न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–06, लखीमपुर–खीरी
उपस्थितः अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।
दाण्डिक वाद सं०–81/2006
रजि नं०–600081/2006

CNR NO. UPLP01–000173–2006

उ०प्र० राज्य ––––अभियोगी।

बनाम

1–बिहारी लाल पुत्र हेमराज निवासी देवरिया कला थाना देवरिया कला जिला पीलीभीत।
2–मुकेश पुत्र चन्द्रसेन निवासी अठान थाना भुता जनपद बरेली।
3–नन्दकिशेर पुत्र न्यारे भगवान निवासी देवरिया कला थाना देवरिया कला, जिला पीलीभीत।
4–जयपाल पुत्र नरायन लाल निवासी देवरिया कला थाना देवरिया कला, जिला पीलीभीत।
––––अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–282/2006
धारा–3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम।
थाना–मोहम्मदी, जिला खीरी।

निर्णय

1– थाना–मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत मु०अ०सं०–282/2006, अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण चेतराम, बिहारी, नन्दकिशोर, जयपाल व मुकेश के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2– संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, दिनांक 31–03–2006 को प्रभारी निरीक्षक हेमन्त कुमार त्यागी मय हमराही कर्मचारीगण देखभाल क्षेत्र क्षेत्र, गश्त, चेकिंग ड्यूटी, तलाश सक्रिय/ वांछित अपराधी में मामूर था, तो ज्ञात हुआ कि शातिर अपराधी चेतराम पुत्र बालकराम का एक संगठित गिरोह है, जिसका वह स्वयं गैंग लीडर है। इसके गिरोह में अभियुक्त बिहारी लाल, मुकेश, नन्दकिशोर आदि सम्मिलित है। यह अपराधी स्वयं अपने गिरोह के सदस्यों के साथ थाना स्थानीय सरहदी थानों एवं जनपदों में भारतीय दण्ड विद्यान के अध्याय 16, 17 व 22 के अपराधो को लगातार कारित कर रहे है। अभिलेखों के अवलोकन से भी इसकी पुष्टि हुई है। अभियुक्त चेतराम आदि उपरोक्त अपराधियों का संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये समाज विरोधी क्रिया कलापों में लगातार लिप्त है। चेतराम उक्त व उपरोक्त अपराधियों का उक्त कार्य उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा–2/3 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित है।

3– वादी मुकदमा एस०एच०ओ० हेमन्त कुमार त्यागी द्वारा दी गयी जुबानी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण चेतराम, बिहारी, नन्दकिशोर, जयपाल व मुकेश के विरूद्ध दिनांक 31–03–2006 को समय 22:15 बजे, थाना–मोहम्मदी, जिला खीरी में मु०अ०सं०–282/2006, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका इन्द्राज थाने की कायमी जी०डी० में विधिनुसार किया गया।

4– विवेचक द्वारा विवेचना की गयी तथा वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये। विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण चेतराम, बिहारी, नन्दकिशोर, जयपाल व मुकेश के विरूद्ध मु०अ०सं०–282/2006, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्त चेतराम की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध प्रकरण की कार्यवाही उपशमित की गयी तथा शेष अभियुक्तगण बिहारी, नन्दकिशोर, जयपाल व मुकेश के विरूद्ध दिनांक 22–0–2018 को धारा–3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 के रूप में श्याम लाल को परीक्षित कराया गया है।

7– अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोग पंजिकृत किये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति प्रपत्र प्रदर्श क–1, कायमी जी0 डी0 कार्बन प्रति प्रदर्श क–2, गैंगचार्ट प्रदर्श क–3, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4 व आरोप पत्र प्रदर्श क –5 दाखिल किया गया है।

8– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 03–07–2026 को लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक तथा गवाहान के बयान को गलत कहते हुए अपने विरूद्ध पुलिस वालों की कहासुनी हो जाने के कारण रंजिशन मुकदमा चलने का कथन किया है।

9– अभियुक्त पक्ष को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। अभियुक्त की ओर सूची कागज सं०–10 ख के माध्यम से आलोच्य आदेश दिनांकित 22–11–2006 की प्रमामित सत्यप्रतिलिपि दाखिल किया गया है।

10– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

11– अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 31–03–2006 से पूर्व अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में उक्त गिरोह के सरगना अथवा सदस्य के रूप में अभियुक्तगण द्वारा हिंसा, धमकी अथवा हिंसा का प्रदर्शन कर और इसी प्रकार के अन्य अपराधों को समाजिक व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करने के उद्देश्य से स्वयं अपने गिरोह के किसी सदस्य को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुंचाने के लिये भा0 दं0 वि0 के अध्याय 16,17 व 22 में वर्णित अपराध को समाज विरोधी क्रियाकलाों में संलिप्त रहे।

12– अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है। अभियुक्तगण ने गैंगचार्ट में वर्णित अपराध कारित कर लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त किया है और आर्थिक, भौतिक तथा दुनियाबी लाभ प्राप्त कर अवैध सम्पत्ति का अर्जन किया है। गिरोह का क्षेत्र में भय व आंतक है, जिस कारण उसके विरूद्ध कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये ।

13– अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण द्वारा

वर्णित अपराधों को कर अर्जित अवैध संपत्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषमुक्त किया जाये ।

14– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) व विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखने पर प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु परीक्षण योग्य है–

(i)– क्या अभियुक्तगण किसी "गैंग" का सदस्य/ सरगना था ?

(ii)– क्या अभियुक्तगण ने गैंग के रूप में उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–2(ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रियाकलाप किया और अभियुक्तगण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–3 का अपराध कारित किया ?

15– उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1886 की धारा 2 (ख) में ''**गिरोह**'' और धारा 2 (ग) में ''**गिरोहबंद**'' को परिभाषित किया गया है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा–2(ख) और 2(ग) के अनुसार अभियोजन को अपने साक्ष्य से यह साबित करना है कि अभियुक्तगण में से किसी एक अभियुक्त ने स्वयं या सभी अभियुक्तों ने सम्मिलित रूप से दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से धारा–2 (ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रिया कलाप किया है। अभियोजन को यह भी साबित करना है कि अभियुक्तगण किसी गिरोह का सदस्या या सरगना या संगठनकर्ता है या वह गिरोह के क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात् दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है या किसी अभियुक्तगण को जिसने क्रियाकलाप किया है, उसे संश्रय देता है।

16– आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह विधि के अन्तर्गत दोषी साबित नहीं हो जाता। अभियोजन पर अपने प्रकरण को साबित करने का प्राथमिक भार होता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हितेन पी.दलाल बनाम ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी, (2001) 6 एस.सी.सी. 16, नरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम म० प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी.सी. 699, रंजीत सिंह ब्रम्हजीत सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 5 एस.सी.सी. 294, एम.एस. नारायन मेनन उर्फ मणी बनाम केरल राज्य और अन्य (2006) 6 एस.सी.सी. 39, राजेश रंजन यादन उर्फ पप्पू यादव बनाम सी.बी.आई. द्वारा निदेशक (2007) 1 एस.सी.सी. 70** के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध जितना गम्भीर होता है, सबूत उतना ही ठोस होना चाहिए। इस प्रकार किसी गंभीर अपराध के मामले में अभियुक्तगण को दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तरीय साक्ष्य का होना आवश्यक है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम बल्देव सिंह (1999) 3 एस.सी.सी. 977 , तथा जितेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी. सी. 562** के मामलों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

17– विधि व्यवस्था–**अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 1848 तथा हरेन्द्र सरकार बनाम असम राज्य ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि संदेह से परे अपने वाद को सिद्ध करे तथा अभियोजन द्वारा इस गुणवत्ता का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि न्या–याधीश एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह यदि विचार करें तो उपलब्ध साक्ष्य से प्रत्येक परिस्थिति में यह सिद्ध हो कि अभियुक्तगण द्वारा ही अपराध कारित किया गया है, उसके दिमाग में कोई संशय उत्पन्न न हो।

18– विधि व्यवस्था **उ०प्र० राज्य बनाम फूल मियां, 1998(1)जे०आई०सी० 792** में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ''सम्बद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके द्वारा किये गये कृत्यों को ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए कि उसने वास्तविक रूप से वह कृत्य किये हैं, जिसका परिवाद किया गया है।''

19– गैंगचार्ट के अनुसार, अभियुक्त बिहारी के विरूद्ध मु०अ०सं०–212/06 धारा–379,411 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–214/06 धारा–147,148,149,307 भा०दं०सं० व मु० अ०सं०–215/06 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त मुकेश के विरूद्ध मु०अ०सं०–212/06 धा–रा–379,411 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–214/06 धारा–147,148,149,307 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–217/06 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त नन्द किशोर के विरूद्ध मु०अ०सं०–212/06 धारा–379,411 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–214/06 धारा–147,148,149,307 भा०दं०सं० तथा अभियुक्त जयपाल के विरूद्ध मु०अ०सं०–212/06 धारा–379,411 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–214/06 धारा–147,148,149,307 भा०दं०सं० थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी में पंजीकृत हैं।

20– **साक्षी पी०डब्लू०–1 श्याम लाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 12–08–2025 में कथन किया है कि, "घटना दिनांक 2/3–03–2006 की रात की है। मेरा पेट्रोल पम्प श्याम फिलिंग स्टेशन रेहरिया में है। मैं उसका मालिक हूं। इस घटना वाली रात को चोर मेरे पेट्रोल पम्प से चुराये थे। पेट्रोल केनो में भर–भर कर खड़े ट्रक में रखे ड्रमों में भर रहे थे। सिपाही गश्त में घूम रहे थे। वहां पर फायर हुआ और शेर हुआ, रात में मैं पम्प पर था, मैं जग गया और भाग कर ट्रक के पास गया, मैंने देखा वहां पर पुलिस व चोरो में बहस हो रही थी। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और चोरो को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गये चोरो ने अपना नाम बिहारी लाल, नन्दकिशोर, जयपाल और मुकेश बताया था। मैंने नामजद रिपोर्ट थाना मोहम्मदी में करायी थी। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। और नक्शा नजरी बनाया था।"

21– **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मेरे पेट्रोल पम्प पर चोरी माह मार्च 2006 में हुई थी। मैं उस समय पम्प पर था। चोरो को मैं पहचानता नहीं था। मैंने चोरो को देखा था, लेकिन जानता नहीं था। चोरो के नाम दरोगा जी ने बताया था। उनके पास से एक ट्रक व ट्रक में रखे हुए 4–5 ड्रम व 4–5 केन एक नल प्रेशर वाली मशीन व 40 फुट लम्बा पाईप बरामद हुआ था। आधा घण्टे बाद पुलिस ने यह सब चीजे बरामद की थी। मैंने कोई चीज बरामद नहीं की थी। मेरे सामने बरामद हुई थी। वह सामान मेरे समाने नहीं है। उस सामान की फर्द पुलिस वालों ने थाने पर बनायी थी। थाने पर फर्द पर दस्तखत कराये थे। फर्द मैंने पढ़ी थी। रिपोर्ट मैंने पुलिस द्वारा बताये गये नामों के आधार पर की थी। उस में पहले हमारे पेट्रोल पम्प पर चोरी नहीं हुई थी। तब बिजली आ रही थी। मुझसे मुल्जिमानों की शिनाख्त नहीं करायी गयी थी, क्योंकि मैं मुल्जिमानों को जानता नहीं था। मैं अपने पम्प के कमरे में था, चोरी पम्प पर हुई थी। इसलिये मैं चोरो का रंगरूप व हुलिया कद काठी नहीं जनता हूं। मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं और पेट्रोल पम्प मालिक भी हूं और कास्तकार भी हूं। मैंने जो रिपोर्ट लिखायी थी, वह पत्रावली में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने रिपोर्ट अज्ञात में लिखाई हो। मुल्जिमानों के पते मैं नहीं जानता हूं। पुलिस वालों ने पहले पम्प मुल्जिमानों को लाकर दिखाय था, फिर मुल्जिमानों को थाने पर भी दिखाया था। यह कहना गलत है कि मैं सिखाने पढ़ान से झूठी गवाही दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि बिहारी लाल, नन्दकिशोर, जयपाल, चेतराम, मुकेश ने मेरे पेट्रोल पम्प पर चोरी न की हो। यह भी कहना गलत है कि पुलिस वालों के कहने पर मैंने मुल्जिमानों के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट लिखायी हो।"

22– साक्षी पी०डब्लू०–1 श्याम लाल के मुख्य परीक्षा बयान के अनुसार, वह पेट्रोल पम्प श्याम फिलिंग स्टेशन रेहरिया का मालिक है। घटना वाली रात को चोर उसके पेट्रोल पम्प से पेट्रोल केनो में भर–भर कर खड़े ट्रक में रखे ड्रमों में भर कर चुराना कहा गया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "चोरो को मैं पहचानता नहीं था। मैंने चोरो को देखा था, लेकिन जानता नहीं था। चोरो के नाम दरोगा जी ने बताया था।" यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी द्वारा उसके पेट्रोल पम्प पर किन चोरो द्वारा चोरी किया गया था, उनको पहचाने जाने से इंकार किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसे उक्त अभियुक्तगण के नाम दरोगा जी द्वारा बताये गये थे, जिनके नाम उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि, रिपोर्ट उसने पुलिस द्वारा बताये गये नामों के आधार पर की थी। उससे मुल्जिमानों

की शिनाख्त नहीं करायी गयी थी, क्योंकि वह मुल्जिमानों को जानता नहीं था। वह अपने पम्प के कमरे में था, चोरी पम्प पर हुई थी। इसलिये वह चोरो का रंगरूप व हुलिया कद काठी नहीं जनता है। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी द्वारा अपने बयानों में कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण को पहचानने से स्पष्ट रूप इंकार किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा बताये गये नामों के आधार पर नामजदगी कराया जाना कहा गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयानों में ऐसा कोई विशिष्ट कथन नहीं आया है, जिससे कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता पर कोई प्रकाश पड़ता हो तथा अभियोजन को कोई सहायता मिलती हो।

23– इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तत्सम्बन्धी मु०अ०सं०–214/2006 धारा 147,148,149,307 भा०दं०सं० बनाम बिहारी लाल आदि, मु०अ०सं०–215/2006 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट बनाम बिहारी लाल, मु०अ०सं०–216/2006 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट बनाम चेतराम व मु०अ०सं०–217/2006 धारा–3/25 बनाम मुकेश में विद्वान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी० सं०–6, लखीमपुर–खीरी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 22–11–2006 की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में वर्तमान प्रकरण के अभियुक्तगण को आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगस्टर अधीनियम के अन्तर्गत अभियोजन का मुख्य एवं वास्तविक आधार उक्त आपराधिक प्रकरण भी था, जिसे गैंगचार्ट में सम्मिलित कर वर्तमान अभियोजन पंजीकृत किया गया और उक्त आधारभूत मुकदमें में सक्षम न्यायालय द्वारा विस्तृत परीक्षण उपरान्त अभियुक्तगण को दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त आपराधिक प्रकरण से सम्बन्धित मूल तथ्यात्मक आधार, जिस पर गैंगस्टर अभियोजन आधारित था, अस्तित्वहीन हो जाता है।

24– **Vinod Bihari Lal v. State of U.P., 2025 SCC Online SC 1216,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि गैंगचार्ट और स्वीकृति मात्र औपचारिक "rubber stamp" नहीं हो सकती, सक्षम प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से सामग्री पर विचार करना आवश्यक है।

25– **Vinay Kumar Gupta V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 79679 (Application u/s 482 No.–20422 of 2024) and Kamalveer Singh V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 87524–DB (Criminal Misc. Writ petition No.–16327 of 2024)** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैंगचार्ट में दर्शाये गये आधारभूत मुकदमों की स्थिति, आरोप पत्र, लम्बित कार्यवाही और प्रासंगिक सामग्री स्पष्ट होने चाहिये; गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग यांत्रिक ढंग से नहीं किया जा सकता।

26– ये भी विधिक स्थिति है कि यदि आधारभूत मुकदमों का साक्ष्य ही अभियुक्तगण को समाज/ विरोधी गिरोह गतिविधि से नहीं जोड़ता, तो मात्र गैंगचार्ट या पुलिस राय के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसे मामलों में प्रेक्षित किया है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही आधारभूत आपराधिक सामग्री से पृथक होकर शून्य में खड़ी नहीं रह सकती **(maxim–*Sublato Fundamento, cadit opus*) (Ramesh Kumar V. State of U.P., Application u/s 482 No.–358 of 2024)।**

27– अभियोजन की ओर से गैंगचार्ट में वर्णित अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी वादी अथवा पीड़ित साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न की किसी स्वतंत्र साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिससे अभियुक्तगण की कथित घटनाक्रम में संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो।

28– गैंगस्टर अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को मात्र अभियोगित (accused) होने के आधार पर दण्डित करना नहीं है, अपितु ये सिद्ध करना है कि वह व्यक्ति किसी "गैंग" का सदस्य/ लीडर है, संगठित एवं निरन्तर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है तथा आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु अपराध कर रहा है। जब आधारभूत मुकदमें में अभियुक्तगण की संलिप्तता ही न्यायिक परीक्षण में सिद्ध

नहीं हुई, तब उसी घटना के आधार पर गैंग सदस्यता एवं संगठित अपराध का निष्कर्ष निकालना स्पष्टतया विधिसम्मत मानक के विपरीत होगा। अभियोजन ऐसा कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिससे मूलभूत तथ्य साबित होते हो।

29– न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र जनसाक्षी, सम्भ्रान्त व्यक्ति या पीड़ित प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ये सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण के गिरोह से समाज में वास्तविक भय अथवा आतंक था। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि परीक्षित साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही उससे अभियोजन अपने समर्थन में कोई तथ्य निकलवा पाने में सफल रहा है। अतः अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तगण किसी "गैंग" के सदस्य/ सरगना रहे हो तथा उसने संगठित गैंग के रूप में धारा–2(ख) में वर्णित समाज–विरोधी क्रियाकलाप किया हो। तद्नुसार उक्त बिन्दु अवधारित किया जाता है।

30– इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा उपर्युक्त विधिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्तगण बिहारी, नन्दकिशोर, जयपाल व मुकेश पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

21– अभियुक्तगण बिहारी, नन्दकिशोर, जयपाल व मुकेश को दाण्डिक वाद सं०–81/2006, मु०अ०सं०–282/2006, थाना–मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

32– अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

33– अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–481 के तहत मु० 30,000–30,000/–(तीस–तीस हजार) रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू इस निर्णय की तिथि के 05 दिवस के अन्दर, इस न्यायालय में इस बाबत दाखिल करें कि उन्हें जब कभी इस न्यायालय द्वारा या अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा, तब वे इस न्यायालय में या अन्यथा निर्देशित न्यायालय में उपस्थित होंगे।

दिनांकः 21–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

उक्त निर्णय/ आदेश आज स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 21–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.21 17:10:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court